कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादून।

ईमेल–cfoddn.ukfs@gmail.com मोबाईल नम्बर–9456597981, फोन नम्बर–0135–2654900

पत्राकः न–20/असुव्य/(911)/2025 दिनांकः दिसम्बर 24, 2025

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
DOON GLOBAL SCHOOL
CHAKRATA ROAD, JHAJRA
जनपद–देहरादन।

विषय **शैक्षणिक भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े।**

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बरः–**15518940** दिनांकः **11.12.2025** जो कि **Uttarakhand Fire and Emergency Services** के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई की निरीक्षण आख्या दिनांक **20.12.2025** के अनुसार निरीक्षण के दौरान अग्निशमन व्यवस्था **फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, पानी टैंक, फायर पम्प इत्यादि** कार्यशील दशा में पायी गयी। भवन/संस्थान एक ***शैक्षणिक भवन*** है। भवन/संस्थान में भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल है। भवन/संस्थान में ***बेसमेन्ट नहीं*** है।

अतः उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांकः 29 नवम्बर 2021 तथा संख्या–304272/XX-3/2025-02(10)/2024 देहरादून दिनांक 06 जून, 2025 के अनुपालन में **दिनांकः 24 दिसम्बर 2025 से 23 दिसम्बर 2028 (03 वर्ष) तक** के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है, तथा निम्न शर्तो का पालन किये जाने पर ही यह वैध रहेगा।

1. प्रश्नगत भवन/संस्थान को दिनांक जून 12, 2022 में नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत की गई थी। यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में निर्मित भवन को प्रदान किये गये अग्निशमन अनापत्ति के नवीनीकरण हेतु प्रदान किया जा रहा है। **यदि सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया गया है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।**
2. संस्थान की अग्निशमन व्यवस्था के कार्यशील एवं एन.बी.सी..–2016 के मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण होने का स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड/ईमेल (cfoddn.ukfs@gmail.com) करना अनिवार्य है।
3. संस्थान में प्रत्येक 03 माह में मॉक ड्रिल करायी जाये जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जानी आवश्यक है।
4. प्रत्येक स्व–घोषण प्रमाण पत्र/Audit Report में संस्थान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में बदलाव (जैसे मेन्टीनेंस इत्यादि) की स्थिति से इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य है।
5. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
6. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
7. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है। अतः स्वामी/प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
8. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
9. संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
10. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
11. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन में उपलब्ध न्यूनतम अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त अग्निशमन अधिकारी सेलाकुई के सुझाव के अनुरुप भवन में 01 अद्द टैरिस पम्प (900 लीटर प्रति मिनट क्षमता), संचालित लैब (कम्पयूटर/कैमस्ट्री) में क्लीन एजेन्ट बेस ऑटोमैटिक सिस्टम, फोम एक्सटिंग्यूशर तथा जेनरेटर सैट/डीजल स्टोरेज हेतु 50 लीटर क्षमता का फोम एक्सटिंगयूशर का प्रावधान तीन माह के भीतर करवाकर इस कार्यालय को अवगत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा।

–क्रमशः 02–

12. यदि भवन/संस्थान को जिस मानचित्र पर पूर्ण संचालन (Pre-Operational) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान की गई थी यदि उसके दर्शाये गये सैट बैक में स्थाई व अस्थाई निमार्ण कर अग्निशमन एंव रेस्क्यू कार्य बाधित किये जाने एंव सेफ्टी मानकों में परिवर्तन किये जाने पर प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
13. संस्थान में फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के दृष्टिगत फायर पम्प हाऊस की इलैक्ट्रिक सप्लाई के लिए सेपरेट फिडर का प्रयोग करना अनिवार्य है यदि अग्निकाण्ड की घटना घटित होने पर पम्प हाऊस को इलैक्ट्रिक की सप्लाई नहीं मिलती है तो सम्पूर्ण दायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा।
14. **प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत भवन का मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत है। भवन का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाए, यदि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त भवन अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाता है तो अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रभावी नही रहेगा और स्वतः ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जाएगा। उक्त भवन के किसी तल में कोई नया शैक्षणिक संस्थान संचालित किया जाता है तो उसकी जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
15. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान नियमानुसार व्यवस्था नहीं पायी जाती है, यदि किसी प्रकार की लापरवाही/तकनीकी खराबी के कारण अग्नि दुघर्टना के समय अग्निशमन उपकरण कार्य नहीं करते हैं तो पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/प्रबन्धक का होगा तथा यह प्रदत्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(अभिनव त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

कार्यालय मुख्य अग्नि- शमन अधिकारी देहरादून।
पत्रांक: न–20 / असुव्य (752) / 22-23

दिनांक: जून 12-2022

सेवा में,

प्रधानाचार्य / प्रबन्धक
दून ग्लोबल स्कूल
(DOON GLOBAL SCHOOL)
चकराता रोड़, झाझरा
जनपद–देहरादून।

सन्दर्भः– अग्निशमन एवं आपात सेवा उत्तराखण्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 93780051 दिनांक 07.07.2022 के सम्बन्ध में।

आपके **विद्यालय** का निरीक्षण अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी **सेलाकुई** द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक **11–07–2022** में आपके **विद्यालय** में स्थापित प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सन्तोषजनक इंगित करते हुये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान करने की संस्तुति की है।

अतः प्रभारी / अग्निशमन अधिकारी **सेलाकुई** की निरीक्षण आख्या दिनांक **11–07–2022** के आधार पर आपके **विद्यालय** हेतु उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादून दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में दिनांक 12 –07–2022 से 11 –07–2025 (03 वर्ष) तक के लिये प्राथमिक अग्नि उपकरणों सम्बन्धी कार्यशीलता प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाता है। साथ ही उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र / Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत / अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगें एंव अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव उच्च स्तर पर रखेंगें। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नही होगा। अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ न पाये जाने अथवा अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर० एस० खाती) 12/7/22
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।